न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 18/2021

GCMS NO. : 2021/29

–: वादीगण :– **बनाम** **–: प्रतिवादी :–**

1. सोहनीदेवी पत्नी स्व0 सीताराम
2. धन्नाराम पुत्र स्व0 सीताराम
3. तुलसीदेवी पुत्री स्व0 सीताराम
4. राकेश पुत्र स्व0 सीताराम
5. हीरालाल पुत्र स्व0 सीताराम
6. श्यामलाल पुत्र स्व0 सीताराम
7. संतोषदेवी पुत्री स्व0 सीताराम
8. रामेश्वरी पुत्री स्व0 सीताराम

जातियान कुम्हार निवासीगण राबडियाबास तहसील जैतारण जिला पाली।

1. तहसीलदार, जैतारण जिला पाली।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.12/03/2021

उपस्थितः– 1. श्री नितेश चौहान, श्री चेतन प्रकाश, अधिवक्ता वादीगण।
2. तहसीलदार, जैतारण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 07/07/2023**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा राबडियावास पटवार हल्का राबडियावास के खसरा नम्बर 762/2 रकबा 24–04 बीघा कृषि भूमि आई हुई है। नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 की साथ पेश है। वादीगण के पति व पिता का सही एवं वास्तविक नाम सीताराम है जो पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र मे दर्ज है। वादीगण के ससुर व दादा पेमाराम फौत होने पर वादीगण के पति व पिता के नाम नामान्तरकरण भरते समय वादीगण के पति व पिता का नाम सीताराम दर्ज नही कर सतू पुत्र पेमा दर्ज कर दिया जो गलत है जो त्रुटी दुरूस्त किये जाने योग्य है सतू वादीगण के पिता व पति का नाम नही है जिसे न्यायहित मे दुरस्त किया जाना आवश्यक है, क्योकि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व नामान्तरणकरण मे गलत नाम सतू रह जाने से कठिनाई होगी व कानूनी पेचीदगिया उत्पन्न हो जायेगी ऐसी स्थिति मे यह कार्यवाही वादीगण अपने पति व [illegible] के गलत नाम सतू को दुरस्त कर सही व वास्तविक नाम सीताराम [illegible] के अधिकारी होने से दर्ज करने के आदेश दिल[illegible] पिता [illegible] दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 12:16:18 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

न्यायालय कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज.

29/11/2018 को होने पर वादीगण अपने नाम से फौतेदगी नामानतरण करवाने हेतू पटवारी हल्का से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 5/1/2021 को प्रथम बार लेने पर वादीगण को अपने पति व पिता का गलत दर्ज होने बाबत् जानकारी में आया कि उनके पति व पिता का गलत नाम सतू दर्ज कर दिया। तब वादीगण ने पटवारी महोदय एवं तहसीलदार, जैतारण को नाम सुधारने बाबत् दस्तावेज पेश कर निवेदन किया परन्तु उन्होने नाम सुधारने से स्पष्ट मना कर दिया एवं न्यायालय से आदेश लाने हेतू कहा इसलिए यह वादपत्र बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रतिवादी राज्य सरकार का प्रतिनिधि है एवं तहसीलदार जैतारण लेण्ड होल्डर है इनके विरूद्ध वादपत्र पेश करने की अनुमति बाबत् धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय वाद दिनांक 5/1/2021 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने एवं उसके द्वारा न्यायालय से आदेश लाने बाबत् कथन करने एवं न्यायालय आदेश से ही रेकर्ड दुरूस्त करने एवं उक्त रोंग एन्ट्री हटाने का कथन करने पर बमुकाम निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकाकर एवं श्रवणाधिकार का होने से श्रीमान् के समक्ष पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण ने जवाब दावा पेश किया, जो शा.मि. है।

प्रतिवादी, तहसीलदार जैतारण ने अपने जवाब दावा में कथन किया कि वादीगण के पति व पिता के पहचान-पत्र, आधार कार्ड व मृत्यु प्रमाण-पत्र में वादीगण के पति व पिता का नाम सीताराम पुत्र पेमाराम दर्ज है। वादीगण के ससुर व दादा पेमाराम के फौत होने पर वादीगण के पति व पिता का नाम नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त सतु पुत्र पेमा दर्ज किया गया। मजमे आम में जांच करने पर एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादीगण के पति व पिता का वास्तविक नाम सीताराम पुत्र पेमाराम ही है। मौका फर्द सीताराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार व सतु पुत्र पेमा जाति कुम्हार दोनों एक ही व्यक्ति है।

वकील वादीगण ने वाद के समर्थन में वादीया सोहनीदेवी पत्नी स्व0 सीताराम का एवं अन्य गवाह धन्नाराम पुत्र स्व0 सीताराम के साक्ष्य के शपथ पत्र पेश किये, दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये, जो शा0मि0 है।

वादीगण मय वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण की बहस सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उपयुक्त विवेचन के आलोक में बिन्दूवार निर्णय निम्नानुसार है-

1. ग्राम बलाडा की जमाबन्दी संवत् 2073-2076 (प्रदर्श-1) के खसरा नम्बर 762/2 रकबा 24-04 बीघा में 'सतु पुत्र पेमाराम' के नाम की प्रविष्टि दर्ज है। इसी प्रकार नामान्तरकरण पंजिका की प्रति (प्रदर्श-2) में नामान्तरकरण संख्या 424 में भी 'सतु पुत्र पेमा जाति कुम्हार' नाम की प्रविष्टि दर्ज है।
2. वादीया सोहनीदेवी पत्नी स्व0 सीताराम के साक्ष्य शपथ-पत्र के अनुसार वादीया ने यह कथन किया कि वादीगण के पति व पिता का सही एवं वास्तविक नाम सीताराम है जो पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, मृत्यु

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 12:16:18 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

प्रमाण पत्र मे दर्ज है। वादीगण के ससुर व दादा पेमाराम फौत होने पर बादीगण के पति व पिता के नाम नामान्तरकरण भरते समय वादीगण के पति व पिता का नाम सीताराम दर्ज नही कर सतू पुत्र पेमा दर्ज कर दिया जो गलत है। अन्य शहादत में गवाह वादी धन्नाराम पुत्र स्व0 सीताराम निवासी राबडियावास तहसील जैतारण का साक्ष्य शपथ-पत्र P/W 02 प्रस्तुत किया। गवाह धन्नाराम ने अपने शपथ-पत्र पर सशपथ कथन किये कि ''वादीगण के ससुर व दादा पेमाराम फौत होने पर वादीगण के पति व पिता के नाम नामान्तरकरण भरते समय वादीगण के पति व पिता का नाम सीताराम दर्ज नही कर सतू पुत्र पेमा दर्ज कर दिया जो गलत है।''

3. बहस के दौरान वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आधारा कार्ड (प्रदर्श-4), मृत्यु प्रमाण-पत्र (प्रदर्श-3), भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान-पत्र (प्रदर्श-5) व राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड में वादीगण के पति व पिता का नाम सीताराम पुत्र पेमाराम दर्ज है। इसी प्रकार, वादीया सोहनी देवी के आधार कार्ड (प्रदर्श-6) अनुसार वादीगण के पति का नाम सीताराम पुत्र पेमाराम है।

4. प्रतिवादी/तहसीलदार, जैतारण द्वारा जवाब दावा में यह स्पष्ट किया गया कि वादीगण के पति व पिता के पहचान-पत्र, आधार कार्ड व मृत्यु प्रमाण-पत्र में वादीगण के पति व पिता का नाम सीताराम पुत्र पेमाराम दर्ज है। वादीगण के ससुर व दादा पेमाराम के फौत होने पर वादीगण के पति व पिता का नाम नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त सतु पुत्र पेमा दर्ज किया गया। मौका फर्द अनुसार मजमे आम में जांच करने पर उपस्थित मौतबिरान ने बताया कि वादीगण सोहनीदेवी के पति व धन्नाराम, तुलसीदेवी, राकेश, हीरालाल, श्यामलाल, संतोषदेवी, रामेश्वरी के पिता का वास्तविक नाम सीताराम पुत्र पेमाराम ही है। सीताराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार व सतु पुत्र पेमा जाति कुम्हार दोनों एक ही व्यक्ति है।

इस प्रकार तहसीलदार, जैतारण के जवाब दावा एवं वादीगण के शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 762/2 रकबा 3.9174 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम ग्राम राबडियावास के भू-अभिलेख में दर्ज प्रविष्टि सतु पुत्र पेमा के स्थान पर वादीगण के पति व पिता का दस्तावेजों में दर्ज अनुसार सही एवं वास्तविक नाम सीताराम पुत्र पेमाराम दर्ज किया जाना है। अतः वादग्रस्त आराजी के भू-अभिलेख में जहाँ-जहाँ प्रविष्टि **'सतु पुत्र पेमा'** दर्ज है वहाँ उसके स्थान पर **'सीताराम पुत्र पेमाराम'** किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचना [illegible] अतः वाद वादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 [illegible] सही साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी [illegible] हद मौजा राबडियावास पटवार हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 12:16:18 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी (फास्ट ट्रेक)
जैतारण (पाली)

राबडियावास तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 762/2 रकबा 3.9174 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के भू-अभिलेख में जहाँ-जहाँ वादीगण के पति व पिता का नाम सतु पुत्र पेमा अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की प्रविष्टि- **'सतु पुत्र पेमा'** के स्थान पर **'सीताराम पुत्र पेमाराम'** को दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 07/07/2023 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 12:16:18 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–: वादीगण :–

1. सोहनीदेवी पत्नी स्व0 सीताराम
2. धन्नाराम पुत्र स्व0 सीताराम
3. तुलसीदेवी पुत्री स्व0 सीताराम
4. राकेश पुत्र स्व0 सीताराम
5. हीरालाल पुत्र स्व0 सीताराम
6. श्यामलाल पुत्र स्व0 सीताराम
7. संतोषदेवी पुत्री स्व0 सीताराम
8. रामेश्वरी पुत्री स्व0 सीताराम

जातियान कुम्हार निवासीगण राबडियावास तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

–: प्रतिवादी :–

1. तहसीलदार, जैतारण जिला पाली।

मु0न0 :रा0वा0स0– 18/2021

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....–..... व हाजरी श्री नितेश चौहान, श्री चेतन प्रकाश, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा राबडियावास पटवार हल्का राबडियावास तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 762/2 रकबा 3.9174 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के भू–अभिलेख में जहाँ–जहाँ वादीगण के पति व पिता का नाम सतु पुत्र पेमा अंकित है उसे विलोपित करते हुये सही व वास्तविक नाम की प्रविष्टि– **'सतु पुत्र पेमा'** के स्थान पर **'सीताराम पुत्र पेमाराम'** को दर्ज करते हुये इस आश्य की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 07/07/2023 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	3.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	08.00	[illegible]नः–	0.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो [illegible] की चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.21 12:16:18 IST
Reason: SelfAttested